पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्थ सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-1

14 अग्रहायण, 1934 (श०)

सोमवार, तिथि ——————

5 दिसम्बर, 2011 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—06

(1) गृह विभाग	..	..	01
(2) वित्त विभाग	..	..	03
(3) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	02
		कुल योग ..	06

पदाधिकारी पर कार्रवाई

1. श्री विक्रम कुंवर--दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के हिन्दी समाचार-पत्र में प्रकाशित ''कहां गये 384 करोड़ रुपये'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त सचिव, बिहार, पटना ने सभी कोषागार पदाधिकारी को 8 नवम्बर, 2011 तक 31 मार्च , 2008 तक की अवधि में विकास मद की जो राशि निकासी की गई थी, वह अव्यवहृत रह गयी उसे सात दिनों के अन्दर राज्य के खजाने में जमा करने का आदेश दिया था;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक उक्त राशि राज्य के खजाने में जमा नहीं किए गए हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त राशि को खजाने में जमा नहीं होने का क्या औचित्य है तथा नहीं जमा करने वाले पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

2. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 2 जून, 2011 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''ट्रैफिक सिग्नल खेला रे खेला..... सरकार से ठगी'' के आलोक में क्या मंत्री, गृह(आरक्षी) विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस टेंडर नवम्बर 28/2004-05 के आधार पर वर्ष 2005 में पटना के शहरी क्षेत्र के 18 तथा मुजफ्फरपुर के एक स्थान पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का काम केवल मीडिया ट्रानिक्स लिमिटेड, तारा तल्ला रोड, कोलकाता को दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कार्य योजना पर सरकार द्वारा 1 करोड़, 19 लाख, 63 हजार, 605 रुपये खर्च किए गए थे;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त राशि खर्च होने के बाद भी 6 महीने में ही सिग्नल ठप्प हो गए;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राशि का दुरुपयोग करनेवालों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक सिग्नलों को चालू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

3. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार ईख आपूर्ति (खरीद का विनियम) अधिनियम, 1981 की धारा 43 के अन्तर्गत ईख खरीद के 14 दिन में किसानों का भुगतान का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि सासामुसा सुगर वर्क्स लिमिटेड चीनी मिल, गोपालगंज वर्ष 2010-11 में किसानों को 3 करोड़ 24 लाख रुपये का तथा रीगा सुगर वर्क्स लिमिटेड, सीतामढ़ी के द्वारा 8 करोड़ 64 लाख गन्ना का मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1996-97 से बिहार राज्य चीनी निगम इकाई, लौरिया, पश्चिम चम्पारण पर किसानों का 2 करोड़ तथा बिहार राज्य चीनी निगम, सुगौली,पूर्वी चम्पारण पर किसानों को 2 करोड़ का बकाया राशि है, जिसके विरुद्ध अबतक भुगतान नहीं किया गया है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों का बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वापस लेना

4. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 को प्रकाशित ''बिहार का झारखंड पर 6000 करोड़ बकाया'' शीर्षक को ध्यान देते हुए क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार विभाजन के बाद बिहार सरकार द्वारा झारखंड के कर्मचारियों के पेंशन भुगतान पर अबतक 6000 करोड़ रुपये का खर्च किया जा चुका है जबकि इसका भुगतान झारखंड द्वारा किया जाना था, यदि हां, तो सरकार उक्त राशि को झारखंड सरकार से वापस लेने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन का लाभ देना

5. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 अगस्त, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''सीनियर पायेंगे जूनियर से कम वेतन'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के 1 जनवरी, 2010 के आदेश के अनुसार तृतीय श्रेणी के राज्य कर्मी जो आठ-दस साल या उससे अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं, को अब अपने से जूनियर से कम वेतन प्राप्त हो रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के वेतन पुनरीक्षण आदेश के अनुसार जनवरी, 2006 के पहले से कार्यरत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में शिड्यूल 2 का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि केन्द्रीय कर्मियों को शिड्यूल 2 का लाभ दिया गया है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केन्द्रीय कर्मियों के समान जनवरी, 2006 के पूर्व कार्यरत बिहार राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मियों को शिड्यूल 2 का वेतन का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि जमा करना

6. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार ईख अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत चीनी मिलों की पेराई सत्र समाप्ति के बाद क्षेत्रीय विकास परिषद में कमीशन की राशि जमा करने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि तिरूपति सुगर मिल, बगहा, पश्चिम चम्पारण के द्वारा 2.50 करोड़, हरिनगर सुगर मिल 3.50 करोड़, न्यू स्वदेशी चीनी मिल, नरकटियागंज के द्वारा 3 करोड़, सासामुसा सुगर मिल 1.25 करोड़, रीगा सुगर मिल, सीतामढ़ी 2.52 करोड़ रुपये कमीशन की राशि क्षेत्रीय विकास परिषद् में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के पेराई सत्र के समाप्ति के बाद भी जमा नहीं की गई है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक चीनी मिलों से कमीशन की राशि क्षेत्रीय विकास परिषद् में जमा कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 (ई०)।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 54-डी०टी०पी०--450